

58/11

न्यायालय अपर सिविल जज (क. प्र.), कोर्ट संख्या 5 हाथरस

उपस्थितः भावना शर्मा जे ओ कोड यूपी 3592

मूलवाद संख्या 197 सन् 2015

CNR NO. UPHT060005812015

- 1 दाऊदयाल शर्मा
- 2 रामकुमार शर्मा उर्फ रम्मो पुत्रगण स्व रामगोपाल शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा निवासी गली हकीम जीवनलाल मौ0 दिल्ली वाला हाथरस जिला हाथरस..... वादीगण

बनाम

- 1 ज्वाला प्रसाद पुत्र बुद्धसैन
- 2 श्रीनिवास पुत्र स्व श्री ख्यालीराम निवासी गली हकीम जीवनलाल मौ दिल्लीवाला हाथरस जनपद हाथरस..... प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में वादीगण का कथन वादपत्र के अनुसार इस प्रकार है, कि वादीगण एक मकान स्थित गली हकीम जीवनलाल जिसका विवरण इस वादपत्र के अन्त में अंकित है में स्थित दो कमरे एक रसोई, एक आंगन तथा निकलने के लिए शामलाती गैलरी पर अपने पिता स्व रामगोपाल शर्मा के समय से 36 रु महावार पर अरसा करीब 55 वर्ष से किरायेदार आवाद चले आ रहे है। उक्त मकान के मालिक बुद्धसैन प्रतिवादी सं 1 के पिता व प्रतिवादी सं 2 के बाबा थे जिन्होंने दो शादी की थी एक पत्नी से प्रतिवादी सं 1 दुर्गाप्रसाद तथा दूसरी पत्नी से प्रतिवादी सं 2 के पिता ख्यालीराम उत्पन्न हुए, दुर्गाप्रसाद उक्त जगह से अलग रह रहे है। प्रतिवादीगण को वादीगण लगातार किराया अदा कर रहे है किराया मनीआर्डर से भेजने की स्थिति में कभी ज्वाला प्रसाद, तो कभी उनका पुत्र त्रिलोकी नाथ या पत्नी शारदा देवी किराया प्राप्त करती है। प्रतिवादीगण की नीयत में बदी आ गयी है वह वादीगण को बेदखल करने के लिए तरह तरह से तंग व परेशान कर रहे है, इस परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण किराये शुदा लैटिन जिन्हें उभय पक्ष सम्मिलित रूप से प्रयोग करते थे दिनांक 30.6.15 को तोड़कर बन्द करने पर आमादा है तथा अपने लिए अलग लैट्रिन बना रहे है जिसे प्रयोग न करने की धमकी दे रहे है, इस तरह किराए शुदा सम्पत्ति से वादीगण को बेदखल करने की कोशिश कर रहे है जबकि उसके ऐसा करने का कोई अधिकार

(2)

नहीं है। अगर गैलरी बन्द कर दी जाती है तो वादीगण को अपनी किराये शुदा सम्पत्ति में आने जाने का मार्ग अवरूद्ध हो जाएगा जिससे वादीगण को सख्त हकतलफी होगी। वादीगण ने प्रतिवादीगण को समझाया कि वह गली के आने जाने वाले मार्ग गैलरी को बन्द न करे और खुर्द बुर्द करने से बाज रहे लेकिन प्रतिवादीगण धमकी दे रहे हैं कि वह मौका मिलते ही गैलरी तोड़ देंगे तथा रास्ता बंद कर देंगे, इस परिपेक्ष्य में दिनांक 5.7.15 को प्रतिवादीगण ने अपने परिवारीजन के साथ मिल के गैलरी तोड़ने की कोशिश की जिसे वादीगण किसी तरह रोक पाए लेकिन प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि वह मौका मिलते ही तोड़ देंगे। वाद का कारण दिनांक 1965 से पूर्व किराएदार बनने के दिन व दिनांक 30.6.15 को लेकिन तोड़ने की कोशिश करने के दिन व दिनांक 6.7.15 को अन्तिम इन्कार न्यायालय की सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ तथा न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादी का मूल्यांकन वास्ते श्रवणार्थ व शुल्कार्थ एक साल के किराया का 432रू पर कायम किया जाता है। वादीगण निम्न प्रतिकार पाने का अधिकारी है-(क) स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण वहक वादीगण इस अमर की पारित की जाए कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के अन्त में अंकित सम्पत्ति जिसे संलग्न नकशे में लाल रंग से दिखाया गया है में से वादीगण की किराए शुदा सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने, उसकी गैलरी तोड़कर मार्ग अवरूद्ध करने, नवीन लैट्रिन प्रयोग करने या किसी भी तरह वेदखल करने से बाज रहे। (ख) व्यय वाद दिलाया जावे। अन्य प्रतिकार जो न्याय संगत वादी हो वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र कागज़ संख्या 24ए1 में वाद पत्र के सभी मद को इन्कार करते हुए यह कथन किया गया है कि मुझे प्रतिवादी उत्तरदाता के विरुद्ध कोई भी वाद कारण वादीगण कतई उत्पन्न नहीं होता है और नाही वह मांगे गए अनुतोष को पाने का अधिकारी है। उक्त वाद सव्यय निरस्त किए होने योग्य है। उक्त प्रश्नगत मकान प्रतिवादी का पत्रिक मकान है। तथा वह काविज मालिक दखील है। तथा उक्त मकान में वादी संख्या 1 दाऊदयाल शर्मा पूर्व में किराएदार रहा था। परन्तु वह अब मय परिवार काशीराम कालोनी हाथरस में आवंटित शुदा मकान में रह रहा है। अब उसे मकान की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 2 से कभी किराया नहीं लिया है। और नाही उसका उससे कोई सम्बन्ध व सरोकार है। यह कि प्रतिवादी के मकान में पूर्व से लैट्रिन बनी हुई है। जिसका वह इस्तेमाल करता चला आ रहा है। उसके द्वारा कोई लैट्रिन नहीं तोड़ी है। और नाही उसके द्वारा गैलरी आदि बन्द की गई है नाही तोड़फोड़ की गई है। वादीगण ने उक्त तथ्य रंगत देने की नीयत से उल्लेखित किए गए है। वादीगण की नीयत में वदी आ गई है। उसे अब कोई मकान की आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके वह वलात कब्जा करना चाहता है। उसी गरज से उक्त वाद दायर किया गया है। वादीगण अरसा दराज से मय परिवार काशीराम में बने मकान में रह रहे है। वादीगण द्वारा वाद में मूल्यांकन कम किया है। वाद अधोमूल्यांकित है। इस विना पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। वाद विशिष्ट अनुतोष की धारा 39,40, 41 से बाधित है। वाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से बाधित है। प्रतिवादी विशेष हर्जा खर्चा धारा 35ए जा दीवानी पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र कागज़ संख्या 20ए1 में वाद पत्र की धारा 2 तथा धारा में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किराएदार होना स्वीकार करते हुए तथा बाकी सभी धाराओं को इन्कार करते हुए यह कथन किया गया है कि वादीगण को कोई कारण विवाद प्रतिवादीगण उत्तरदाता के विरुद्ध पैदा नहीं होता है और ना वादीगण वाद में मांगे किसी प्रतिकार के पाने का अधिकारी है। वादीगण मात्र दो कमरों, एक रसोई व एक दौटा आंगन पर मात्र किराएदार आवाद है, लैट्रिन वादीगण की किराएदारी में नहीं है, अपितु उक्त लैट्रिन प्रतिवादी उत्तरदाता के निजी मकान का अंश है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के परिजनों के निजी प्रयोग में आती है, उक्त लैट्रिन से सटा प्रतिवादी संख्या 2 का बाथरूम व किचन है, वादीगण का किराएशुदा कमरों व उसमें स्थित रसोई व आंगन के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 के लैट्रिन बाथरूम व किचन से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

(3)

पर्दानसीनी व भिन्नता के परिप्रेक्ष्य में भी वादीगण को कोई अधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 की लैट्रिन को प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है और नही वादीगण ने कभी पूर्व में प्रयोग किया। अमीन आख्या 13ग के साथ प्रस्तुत नक्शे से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत लैट्रिन किराएशुदा सम्पत्ति के अलग स्थित है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के किराएदार तथा किराएदारी के प्रारम्भ से ही प्रतिवादी संख्या 1 के मकान में स्थित लैट्रिन का प्रयोग करते चले आ रहे हैं चूँकि वादीगण व प्रतिवादी उत्तरदाता के मध्य भवन स्वामी व किराएदार का कोई संबंध नहीं है। इस कारण प्रतिवादी उत्तरदाता पर कोई बाध्यता अपनी निजी लैट्रिन का प्रयोग वादीगण को करने देने का नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदाता ने वादी को शामिल गैलरी के प्रयोग करने से कभी बंदित नहीं किया। वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा किया है। वाद में धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बाधक है। अन्यथा भी वादी का वाद स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा सब्यय निरस्त किए जाने योग्य है व प्रतिवादी उत्तरदाता वादी से धारा 35ए ब्यो प्रो सहिता के तहत विशेष हर्जा आदि पाने का अधिकारी है।

उभय पक्ष के सभी कथनों के आधार पर दिनांक 25.7.2016 को निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए गए।

- 1 क्या वादी गण वाद पत्र में वर्णित संपत्ति के बावत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी है?
- 2 क्या वादी गण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- 3 क्या वादी गण द्वारा न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
- 4 क्या वादी गण का वाद आवश्यक पक्षकार ना बनाए जाने का दोष है?
- 5 क्या वादी गण का वाद अनावश्यक पक्ष कार बनाए जाने के कारण दूषित है?
- 6 क्या वादी गण का वाद धारा 115 साक्ष्य अधिनियम से बाधित है?
- 7 क्या दावा वादी 34, 38, 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
- 8 क्या वादी धारा 35 ए के तहत विशेष हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है?
- 9 अनुतोष?

वादी गण द्वारा वाद पत्र में किए गए कथनों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी संख्या 2 राम कुमार शर्मा पी डब्लू 1 का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 32क2 दाखिल किया गया एवं वादी संख्या 1 दाऊ दयाल पी डब्लू 2 का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 35क2 दाखिल किया गया। वादी द्वारा पी डब्लू 1 एवं पी डब्लू 2 को न्यायालय में जिरह हेतु प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया, इस प्रकार वादी का साक्ष्य पूर्ण हुआ।

प्रतिवादी गण को साक्ष्य का अवसर दिया गया प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से साक्ष्य देने से इनकार किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति के चलते उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया इस प्रकार प्रतिवादी गण का साक्ष्य समाप्त हुआ।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।



(4)

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 1

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी गण वाद पत्र में वर्णित संपत्ति के वास्तु स्थानों निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी गण द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि वादी गण एक मकान स्थित गली हकीम जीवनलाल में स्थित दो कमरों, एक रसोई, एक आंगन तथा निकलने के लिए शामलाजी गैलरी पर अपने पिता स्वर्गीय रामगोपाल शर्मा के समय से ₹36 महावर पर अरसा करीब 55 वर्ष से किराएदार आवाज चले आ रहे हैं। वादी गण द्वारा यह कथन किया गया है कि वह प्रतिवादी गण को लगातार किराया अदा कर रहे हैं, किराया मनी ऑर्डर से भेजने की स्थिति में, कभी ज्वाला प्रसाद तो कभी उनका पुत्र त्रिलोकीनाथ, या पत्नी शारदा देवी किराया प्राप्त करती हैं। वादी गण द्वारा अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त कागज संख्या 10ग1 लगायत 2 से किराया व मनी ऑर्डर आदि की रसीदें कागज संख्या 11ग1 लगायत 87 दाखिल किए गए हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवाद पत्र कागज संख्या 20ए से यह कथन किया गया है की वादी गण मात्र दो कमरे, एक रसोई व एक छोटा आंगन पर मात्र किराएदार आवाज हैं, लैट्रिन वादी गण के किराएदारी में नहीं है, अपितु उक्त लैट्रिन प्रतिवादी संख्या 2 के निजी मकान का अंश है तथा उसी के परिजनों के निजी प्रयोग में आती है तथा वादी गण का प्रतिवादी संख्या 2 के लैट्रिन बाथरूम, व किचन से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी गण प्रतिवादी संख्या 1 के किराएदार तथा किराएदार के प्रारंभ से ही प्रतिवादी संख्या 1 के मकान में लैट्रिन का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। चूंकि वादी गण व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य भवन स्वामी व किराएदार का कोई संबंध नहीं है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 पर कोई बाध्यता निजी लैट्रिन का प्रयोग वादी गण को देने का नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र 24ए में यह कथन किया गया है कि उक्त मकान में वादी संख्या 1 दाऊ दयाल शर्मा पूर्व में किराएदार रहा था परंतु वह अब मय परिवार काशीराम कॉलोनी हाथरस में आवंटित शुदा मकान में रह रहा है। अब उसे मकान की कोई आवश्यकता नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 2 से कभी कोई किराया नहीं लिया है और ना ही उसका कोई संबंध व सरोकार है तथा वादी गण द्वारा इस्तेमाल की गई लैट्रिन प्रतिवादी ने नहीं तोड़ी है ना ही गैलरी आदि बंद की गई है और ना ही तोड़फोड़ की गई है।

मुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी की प्रश्नगत संपत्ति में दो कमरे, एक आंगन तथा निकलने के लिए शाम लाती गैलरी में बतौर किराएदार आवाज चले आ रहे हैं। वादी द्वारा अपने किराए शुदा संपत्ति में लैट्रिन का होना नहीं बताया गया है अर्थात् वादी गण द्वारा प्रश्नपत्र लैट्रिन का किराया भी प्रतिवादी संख्या 1 को अदा नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत किराए शुदा संपत्ति का किराया प्रतिवादी संख्या 1 दाऊ दयाल शर्मा को, कभी उनकी पत्नी शारदा देवी को, कभी उनके पुत्र त्रिलोकीनाथ को अदा किया गया है। वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने प्रतिवादी संख्या 2 श्रीनिवास शर्मा को कभी किराया नहीं दिया है। वादी द्वारा पत्रावली पर दाखिल किराए की रसीदों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रश्नगत किराएशुदा संपत्ति का किराया प्रतिवादी संख्या 1 को अदा किया गया है अर्थात् वादी गण तथा प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य भवन स्वामी वह किराएदार का संबंध कभी नहीं रहा है।

50/11/3

पत्रावली पर दाखिल अमीन आख्या कागज संख्या 13ग3 तथा नक्शा नजरी कागज संख्या 13ग4 के अबलोकन से यह स्पष्ट है कि अक्षर ABCDEFGHIJ के मध्य दक्षिण पूर्व में मकान अशोक दूध वाले का, पश्चिम में शेष मकान श्रीनिवास बादहू मकान कोमल, उत्तर में मकान दुर्गा प्रसाद का है, दक्षिण में प्रकाश का मकान है। अक्षर GHIJ पर लैट्रिन बनी है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ने बनाया है, जिसे वादी गण व प्रतिवादी गण के पुत्र ने बताया कि अभी बनी थी। अमीन द्वारा प्रस्तुत नक्शा नजरी कागज संख्या 13ग4 के अबलोकन से स्पष्ट है कि अक्षर GHIJ पर लैट्रिन बनी है, जिसके दक्षिण में बाधरूम व किचन है। वादी गण दाऊ दयाल शर्मा व राजकुमार शर्मा के किराए शुदा मकान को अक्षर ABCD अंकित किया गया है। वादी गण के किराए शुदा मकान से प्रश्न गत लैट्रिन वादी गण के मकान में शामिल आती नहीं है। वादी गण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत लैट्रिन उसके किराए शुदा मकान में शाम लाती भाग है। जहां तक वादी गण द्वारा अभिकथित गैलरी का प्रश्न है वह एक शाम लाती रास्ता है जिसे वादी गण एवं प्रतिवादी गण द्वारा स्वीकार किया गया है। उपरोक्त गैलरी वादी गण के आने जाने हेतु आवश्यक है। अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या में भी वादी गण का प्रश्न पत्र गैलरी के अथवा अन्य कोई रास्ता नहीं बताया गया है।

जहां तक वादी गण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी गण द्वारा उसके इस्तेमाल की जा रही लैट्रिन को तोड़ा जा रहा है तथा प्रतिवादी गण द्वारा बनवाई गई नवीन लैट्रिन इस्तेमाल नहीं किए जाने के लिए प्रश्न है तो यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि जब वादी गण द्वारा इस्तेमाल की जा रही प्रश्नगत लैट्रिन उसके किराए शुदा मकान में शामिल नहीं है तो प्रतिवादी पर यह कोई बंधन नहीं है कि वह अपनी निजी प्रयोग में आ रही संपत्ति या लैट्रिन को ना तोड़े या नवीन लैट्रिन को इस्तेमाल करने दे। यहां पर न्यायालय का यह मत है कि शौचालय किसी भी व्यक्ति की निजता अर्थात privacy से जुड़ी होती है। यह उसका अधिकार है कि वह अपनी निजी वस्तु या फिर निजी प्रयोग में आ रही शौचालय किसी को इस्तेमाल करने देता है या नहीं। जहां तक प्रश्न है कि प्रतिवादी गण अपने शौचालय को वादी गण को विगत कई वर्षों से इस्तेमाल करने दे रहा था तो यहा यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह मकान मालिक अर्थात प्रतिवादी गण की स्वेच्छा है कि वह कब तक अपनी निजी उपयोग में आने वाले शौचालय को इस्तेमाल करने दें अर्थात प्रतिवादी गण पर यह बाध्य नहीं है कि वह आगे भविष्य में भी इस्तेमाल करने दे। वादी गण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी गण अब नवीन शौचालय बना रहे हैं तथा वादी को उस शौचालय को प्रयोग करने से बाधित कर रहे हैं तो यह भी उनका अधिकार है क्योंकि ना तो शौचालय किराएशुदा संपत्ति का भाग है और प्रतिवादी अर्थात मकान मालिक का यह अधिकार है कि वह अपनी किसी भी वस्तु को प्रयोग करने दे या फिर उसे क्षतिग्रस्त करें।

प्रतिवादी संख्या 1 ज्वाला प्रसाद द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र कागज संख्या 24ए में यह कथन किया गया है कि वादी संख्या 1 मय परिवार अब काशीराम कॉलोनी हाथरस में आवंटित शुदा मकान में रह रहा है। उक्त तर्क को पी डब्लू 2 दाऊदयाल द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र के प्रति परीक्षा कागज संख्या 37क2 में स्वीकारा गया है कि वह विगत 7 वर्षों से काशीराम कालोनी में रह रहा है, जो उसके नाम आवंटित हुआ है। उस मकान में बिजली, पानी, लैट्रिन आदि की सभी सुविधा उपलब्ध है। यह तर्क वादी गण द्वारा अपने वाद पत्र में कहीं कथित नहीं किया गया है तथा उक्त बात भी वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र देने से 1 वर्ष पहले दायर किया था जबकि वह काशीराम कॉलोनी में विगत 7 वर्षों से रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 ज्वालाप्रसाद द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा वादी संख्या 2 रामकुमार शर्मा से कभी किराया नहीं लिया गया है। पी डब्लू 2 द्वारा अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षा कागज संख्या 37क2 में स्वीकार किया गया है कि प्रश्न पत्र गैलरी जिसको वाद पत्र में वादी द्वारा बंद किया जाना बताया गया है, वादी उसका लगातार प्रयोग कर रहा है तथा उसे उपयोग करने में प्रतिवादी द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता है।

Bb

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपना वाद सिद्ध नहीं कराया गया है। अतः यह वाद बिंदु वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 2

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी गण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

इस वाद बिंदु का निस्तारण पूर्व में दिनांक 25.7.2016 को निस्तारित किया जा चुका है, जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 3

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी गण द्वारा न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?

इस वाद बिंदु का निस्तारण पूर्व में दिनांक 26.7.2016 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 4

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी गण का वाद आवश्यक पक्षकार ना बनाए जाने का दोष है?

इस वाद बिंदु का निस्तारण पूर्व में दिनांक 28.07.2016 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 5

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी गण का वाद अनावश्यक पक्षकार बनाए जाने के कारण दूषित है?

इस वाद बिंदु का निस्तारण पूर्व में दिनांक 01.08.2016 को हो चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 6

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी गण का वाद धारा 115 साक्ष्य अधिनियम से बाधित है?



SOPAT
4

(77)

इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद बिंदु के संदर्भ में कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह वाद बिंदु प्रतिवादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 7

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी 34,38,41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद बिंदु के संदर्भ में कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः यह वाद बिंदु प्रतिवादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 8

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी धारा 35ए के तहत विशेष खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है?

इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद बिंदु के संदर्भ में कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः यह वाद बिंदु प्रतिवादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 9

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है इसलिए वादी कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण खारिज किए जाने योग्य है।

BS


न्यायालय अपर सिविल जज (क.प्र.) कोर्ट सं. 05 हाथरस
उपरिष्ठतः भावना शर्मा जे.ओ. कोड यूपी 3592
मूलवाद संख्या: 197 सन् 2015
दाऊदयाल बनाम ज्वालाप्रसाद आदि
GNR No. UPHT060005812015

(8)

आदेश

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना अपना वह स्वयं वहन करेंगे।
पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक : 13.04.2021


13.04.2021
भावना शर्मा


अपर सिविल जज (क.प्र.)

हाथरस

JO CODE: UP3592

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 13.04.2021


13.04.2021
भावना शर्मा

अपर सिविल जज (क.प्र.)

हाथरस

JO CODE: UP3592